बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं की उपविधियॉ

उपविधि क्रमांक–(1) नाम, पंजीकृत पता एवं कार्यक्षेत्र :–

1. संस्था का नाम :–.....

.....

2. पंजीकृत पता :–.....

.....

3. कार्यक्षेत्र :–.....

नोटः– संस्था के पंजीकृत पतें में किसी भी प्रकार से परिवर्तन होने पर संस्था द्वारा इसकी सूचना पंजीयक, प्रत्येक सदस्य एवं उस संस्था को जिसकी यह संस्था है, को 30 दिन के अन्दर डाक द्वारा दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक–(2) परिभाषाएँ :–

1. **अधिनियम से तात्पर्य**–"मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960" से है।
2. **नियम से तात्पर्य**–"मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962" से है।
3. **सहकारी वर्ष से तात्पर्य**–"प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष" से है।
4. **उपविधियों से तात्पर्य**–"अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत मान्य की हुई उप विधियों" से है, जिसे पंजीयक द्वारा पंजीकृत किया गया है।
5. **पंजीयक से तात्पर्य**–"अधिनियम की धारा–3 के अधीन नियुक्त अधिकारी"से है।
6. **निगम/संघ से तात्पर्य**–"म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम/म0प्र0 राज्य बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित" से है, जिससे संस्था संबंद्ध होगी।
7. **प्रमाणीकरण संस्था से तात्पर्य**– "म0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था" से होगा।
8. **लाभांश से तात्पर्य**–" किसी सदस्य को उनके द्वारा धारित अंशों के मूल्य के अनुपात में संस्था के लाभ में से चुकाई गई रकम" से है।
9. **सदस्य से तात्पर्य**– "इस संस्था के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन से संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति/महिला या कोई ऐसा व्यक्ति/महिला जिसे रजिस्ट्रेशन के बाद उपविधि अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो" से है।
10. **अध्यक्ष से तात्पर्य**– "संस्था के अधिनियमों/नियमों/उपविधियॉ अनुसार नामांकित/निवार्चित अध्यक्ष/सभापति या चेयरमेन" से है।
11. **कार्यक्षेत्र से तात्पर्य**– "वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जा सकती है" से है।
12. **समिति से तात्पर्य**– "धारा –48 के अधीन" गठित किया गया संचालक मण्डल, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो" से है।
13. **संस्था से तात्पर्य**– "उपविधि क्रमांक–1 में वर्णित संस्था" से है।
14. **शासन से तात्पर्य**– "मध्यप्रदेश शासन" से है।

उपविधि क्रमांक–(3) उद्देश्य :– समिति के उद्देश्य निम्नानुसार होगें–

बीज उत्पादक सहकारी सोसाइटी के उद्देश्य

बीज उत्पादक सहकारी सोसाइटी अपने सदस्य कृषकों को उन्नत किस्म के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, बीजों के उपार्जन, विपणन हेतु आवश्यक कृषि तकनीक एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्य करेगी :–

3.1 उन्नत कृषि बीजों के उत्पादन वृद्धि हेतु सदस्य कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रेरित करना, बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु योजना बनाना एवं योजनानुसार क्रियान्वयन हेतु सहयोग करना।

3.2 बीजोत्पादन कार्यक्रम का तथा इस कार्यक्रम हेतु लगने वाले प्रजनक एवं आधार बीज का फसल एवं किस्मवार प्रत्येक तीन वर्ष का वर्षवार रोलिंग प्लान तैयार कर बीज संघ को प्रस्तुत करना।

3.3 सदस्य कृषकों को बीज उत्पादन हेतु कृषि फसलों के प्रजनक एवं आधार बीज उपलब्ध कराना।

3.4 सदस्य कृषकों के बीजोत्पादन कार्यक्रम के प्रमाणीकरण हेतु, प्रमाणीकरण संस्था में बीज उत्पादन कार्यक्रम का बीज संघ के निर्देशानुसार पंजीयन कराना तथा प्रमाणीकरण संस्था के कैलेण्डर अनुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सदस्यों को सेवाऐं एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।

3.5 बीजोत्पादन कार्यक्रम के तहत उत्पादित बीजों का बीज संघ के निर्देशानुसार उर्पाजन करना अथवा बीज संघ के लिये उपार्जित करना।

3.6 सदस्य किसानों से उपार्जित कृषि बीजों के ग्रेडिंग, पैकिंग, टेगिंग की व्यवस्था हेतु कार्यवाही करना एवं आवश्यक सेवाऐं उपलब्ध कराना।

3.7 कृषि फसलों के बीजोत्पादन हेतु सदस्यों को खाद/जैविक खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं एवं अन्य कृषि आदानों की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

3.8 सदस्यों द्वारा उत्पादित बीजों की ग्रेडिंग, पैकिंग हेतु बीज संघ के माध्यम से संयन्त्रों की स्थापना करना एवं किराये पर लेना।

3.9 बीज उत्पादन के संग्रहण हेतु बीज संघ के माध्यम से स्वयं के गोदामों का निर्माण करना, गोदाम किराये पर लेना तथा सदस्य कृषकों को गोदाम उपलब्ध कराना।

3.10 स्वयं के स्वामित्व के गोदामों को किराये पर देना।

3.11 बीज संघ के निर्देशानुसार उपार्जित पैक्ड एवं टैग्ड बीजों के विपणन एवं परिवहन की व्यवस्था करना।

3.12 बीज उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु शासन/बीज संघ के साथ सामंजस्य एवं सहयोग करना ।

3.13 बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सदस्य कृषकों को आधुनिकतम कृषि तकनीक से अवगत कराना एवं सहायता प्रदान करना तथा उनके प्रशिक्षण एवं भ्रमण की व्यवस्था करना।

3.14 प्रत्येक मौसम की बीजों की मांग अनुसार सदस्य कृषकों का बीजोत्पादन कार्यक्रम का निर्धारण करना।

3.15 संचालक मण्डल की स्वीकृति से सदस्यों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं से अमानते प्राप्त करना।

3.16 सदस्य किसानों के लिए कस्टम हायरिंग केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा बीजोत्पादन हेतु आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

3.17 बीज संघ, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य संबधित संस्थाओं को उनके द्वारा समय–समय पर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराना।

3.18 बीज संघ द्वारा तैयार किये गये सीड पोर्टल में बीज उत्पादन संबंधी आवश्यक जानकारियॉ तातारीख अपलोड करना।

3.19 बीज संघ द्वारा तैयार लेखा प्रणाली अनुसार अपने समस्त लेखें तैयार करना।

3.20 बीज संघ एवं शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान का निर्धारित शर्तो के अनुसार उपयोग करना तथा उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र बीज संघ एवं शासन को उपलब्ध कराना।

3.21 केन्द्र शासन, राज्य शासन, निगम/मण्डलों एवं अन्य संस्थाओं से बीज संघ के माध्यम से अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

3.22 चल, अचल सम्पत्ति को क्रय करके, पट्टे पर लेकर, बंधक द्वारा, विनिमय द्वारा किराये पर लेकर लीज द्वारा अथवा ऋण दाताओं और वैध कार्यवाहियों अथवा समझौते द्वारा अन्य किसी प्रकार से स्वामित्व में लेकर अर्जन करना।

3.23 बीज संघ की सदस्यता प्राप्त कर मध्य प्रदेश शासन एवं बीज संघ की योजनाओं के अन्तर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करना।

3.24 खरीफ एवं रबी के अधिकतम 70% बीज उत्पादन कार्यक्रम मुख्य फसलों (धान, सोयाबीन, एवं गेंहू, चना) एवं शेष 30% उत्पादन कार्यक्रम अन्य फसलों (तिल, रामतिल, मूँगफली, अरहर, मूँग, उड़द एवं मक्का, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि) का लिया जाकर बीज उत्पादन किया जायेगा।

3.25 ऐसे समस्त कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों के सम्पादन तथा पूर्ति के लिये एवं बीज सोसाइटी के विकास के लिये प्राथमिक एवं सहायक हो।

3.26 संस्था में अविक्रीत बचे हुए बीजों के निराकरण की व्यवस्था करना।

3.27 संस्था के कार्यो के संचालन हेतु सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करना।

उपविधि क्रमांक–(4) निधियॉ :–

संस्था की निधियॉ निम्नानुसार एकत्रित की जायेगी :–

1. अंश निर्गमन द्वारा।
2. अमानत प्राप्त करके (केवल सदस्यों से)।
3. ऋण प्राप्त करके।
4. दान/अनुदान।
5. प्रवेश शुल्क।

उपविधि क्रमांक–(5) अंशपूंजी :–

1. अंशों के निर्गमन से एकत्रित अंशपूंजी की राशि रूपये दस लाख से अधिक नहीं होगी। एक अंश का दर्शनीय मूल्य 500.00 रूपये होगा, जो कि अंश आवेदन के साथ देय होगा। ऐसे सदस्य "अ" वर्ग के होगें। प्रवेश शुल्क 50.00 रूपये अतिरिक्त रूप से देय होगा।
2. नाम मात्र के सदस्य, जिनको रू. 500/– प्रति अंश जमा करना व प्रवेश शुल्क रू. 50/– जमा करना होगा/ ऐसे सदस्य "ब" वर्ग के सदस्य होगें।

उपविधि क्रमांक–(6) अमानत :–

1. प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित अवधि एवं ब्याज दर पर **महती** चालू बचत अमानत सदस्यों से प्राप्त की जा सकेगी, किन्तु ऐसे मुद्दती, चालू एवं बचत अमानतों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर बैंक द्वारा अमानतों पर दी जाने वाली दर के समान अथवा एक प्रतिशत अधिक होगी।
2. कुल ऋण एवं अमानते मिलकर प्रदत्त अंशपूंजी रक्षित निधि की कुल राशि में से संचित हानि यदि कोई हो तो घटाने के बाद शेष रही राशि के दस गुना से अधिक नहीं होगी।